राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप. 11(4)साप्र / ग्रुप–5 / 92 पार्ट जयपुर, दिनांकः 23-9-2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.9.2012 सामान्य व्यवस्थायें चाय–कॉफी के अन्तर्गत सिंगल ट्रे चाय / कॉफी की कन्जप्शन स्केल निर्धारित की गई थी । प्रबन्धक, विश्राम भवन, जोधपुर द्वारा यह सूचित किया गया कि अधिकांश अतिथियों द्वारा रेडीमेड चाय उपलब्ध कराने की मांग की जाती है इस हेतु विभाग ने कोई कन्जप्शन स्केल तय नहीं की है । अतः प्रकरण वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने पर यह निर्देश प्रदान किये गये कि विभागीय स्तर पर इसे निर्णीत किया जाकर आवश्यक निर्देश जारी किये जावें ।

विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि रेडीमेड चाय / कॉफी हेतु विभागीय आदेश दिनांक 20.9.2012 में निर्धारित कन्जप्शन स्केल को यथावत ट्रे सिस्टम के समान ही माना जावेगा इस हेतु कोई पृथक से दरें निर्धारित नहीं की जावेगी । अतः सभी प्रबन्धकों को व्यादिष्ट किया जाता है कि रेडीमेड चाय / कॉफी के संबंध में कन्जप्शन उपरोक्तानुसार उपयोग में लाया जाएगा ।

यह वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.सं. 161301109 दिनांक 19.7.2013 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किया जाता है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव,वित्त (व्यय–2) विभाग को उनके उपरोक्त संदर्भ में ।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस / जोधपुर हाउस, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
3. प्रबन्धक,समस्त विश्राम भवन, राजस्थान ।
4. सामान्य प्रशासन(ग्रुप–4)विभाग ।
6. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव